लोक अदालत में बिजली चोरी के 2135 मामले निपटाए

नई दिल्लीः 12 दिसम्बर, 2016। बीआरपीएल द्वारा दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं समिति के सहयोग से आयोजित लोक अदालत में बिजली चोरी के 2135 मामले निपटाए गए। जिला न्यायालय साकेत में आयोजित दो दिवसीय स्पेशल लोक अदालत में शनिवार और रविवार को इन मामलों का त्वरित निपटारा किया गया। लोक अदालत में कुल 20 करोड़ रूपये की बिजली चोरी के मामलों का निपटारा हुआ। यह लोक अदालत इस मामले में ऐतिहासिक साबित हुई कि इसने बिजली चोरी के मामले निपटाने संबंधी पुराने सारे रेकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया।

यह लोक अदालत पूरी तरह से पेपरलेस थी, जिसमें कागज की करीब 30 हजार ए4 शीट्स की बचत हुई। फाइलों की आवाजाही को खत्म करने और लोक अदालत की प्रक्रियाओं की पूरी तरह से काजगविहीन बनाने के लिए 24 कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया गया।

शनिवार और रविवार की देर शाम तक चली इस लोक अदालत में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया और बिजली चोरी से जुड़े अपने मामलों का निपटारा करवाया। अपने मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत पहुंचे उपभोक्ताओं में, घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा, उद्योगपति, फैक्टरी मालिक, बिजनेसमैन और नौकरीपेशा लोग भी शामिल थे।

कटिया डालकर बिजली की सीधी चोरी, और मीटर से छेड़छाड़ कर जाने वाली बिजली की चोरी से जुड़े उन तमाम मामलों को यहां निपटाया गया, जो या तो किसी अदालत या फोरम में लंबित थे, या जिन्हें फिर जिन मामलों को अब तक दाखिल नहीं किया गया था। बीएसईएस ने नोटिस के माध्यम से बिजली चोरी में शामिल उपभोक्ताओं से अपील की थी कि वे अपने मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत का लाभ उठाएं। लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए एफएम चैनलों का भी इस्तेमाल किया गया था।

जिन उपभोक्ताओं के मामलों का निपटारा लोक अदालत में किया गया, उन्हें तय रकम के भुगतान के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर उन्हें किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई है। यहां तक कि 3–4 किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, लोक अदालत सभी के लिए सार्थक रहा। उपभोक्ताओं को अपने मामलों के त्वरित निपटारे और लंबी व खर्चीली कानूनी प्रक्रिया से निजात पाने का मौका मिला। न्यायपालिका के लिए भी यह अच्छा मौका रहा क्योंकि कई मामलों का निपटारा एकसाथ हो गया। और, बीएसईएस के लिए तो यह अच्छा रहा ही, क्योंकि इतने उपभोक्ताआ अब मीटरीकृत हो जाएंगे।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।